न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 25/22 GCMS NO 2022/23

1. ओमप्रकाश पुत्र रामकरण जाति मीना निवासी मलारना चौड तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर
2. कमलेश पुत्र रामकरण जाति मीना निवासी मलारना चौड तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. भीमसिह पुत्र रामकिशन जाति मीना निवासी मलारना चौड तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर
2. दीपक पुत्र रामकिशन जाति मीना निवासी मलारना चौड तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर
3. तहसीलदार तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

अपील विरूद्व मु0नं0 61/19 निर्णय व डिकी दिनांक 13.1.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, मलारना डूँगर)

अभिभाषक अपीला0 श्री हरिमोहन जाट

अभिभाषक रैस्पो0 श्री अशोक कुमार साहू

दिनांक 02.12.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 13.1.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, मलारना डूँगर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/वादी द्वारा एक वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 92 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के व्यक्ति है। सजरा खानदान अनुसार रामकरण एवं रामकिशन दोनो भाई थे। रामकरण के पुत्र हरिराम,ओमप्रकाश,कमलेश है। जो वादीगण है। रामकिशन के पुत्र भीमसिह व दीपक है। जो प्रतिवादीगण है। स्व0रामकिशन व रामकरण ने अपनी पैतृक सम्पति आराजीयात को आपसी सहमति से दिनांक 23.5.02 को बराबर कर बांट लिया। उसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते रहे। इसी अनुसार कब्जे शुदा बाडे का भी बंटवारा कर लिया। जिसके अनुसार पीपलीवाला बाडा , रामगोपाल के पास बाला वाडा वादीगण के पिता रामकरण के हिस्से मे आया एवं दूसरा बाडा मोहनलाल के पास वाला प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता रामकिशन के हिस्से मे आया। जब तक दोनो भाई जिवित थे तब तक कोई विवाद नही हुआ। प्रतिवादीगण के पिता रामकिशन की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण के मन मे बदनियती आ गई और उनके द्वारा वादीगण के हिस्से के बाडे पर अवैध रूप से कब्जा करना शुरू कर दिया। वादीगण का वाडा आराजी ख0नं0 3547 रकबा 0.99 है0 किस्म गैरमुमकिन खरडा मे स्थित है। प्रतिवादीगण ने अपने पिता के हिस्से मे आये बाडे पर निर्माण करने के बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:01:31 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

वादीगण के हिस्से मे आए बाडे पर लठठ के जोर पर अवैध रूप से निर्माण करना शुरू कर दिया। जिसका विरोध करने पर झगडे पर आमादा हो गये तथा वादीगण के परिवार के साथ मारपीट की गई। वादीगण अपने पूर्वजो के समय से ही विवादित स्थल को बाडे के रूप मे उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादीगण के इस कब्जे शुदा भूमि पर प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का अवैध पक्का निर्माण करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। अतः दावा वादीगण इस आशय का डिक्री विरूद्व प्रतिवादी फरमाया जावे कि प्रतिवादी न0 1 व 2 को वादीगण के कब्जेशुदा भूमि बाडा ख0न0 5547 रकबा 0.99 है0 ग्राम मलारना चौड मे किय गये अवैध अतिकमण एवं निर्माण से बेदखल कर निर्माण का ध्वस्त कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण के बाडे ख0न0 5547 के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर वादीगण/अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य का सही विवेचन नही किया है। तनकी संख्या 1 के सबंध मे साक्ष्य पटवारी हल्का की रिपोर्ट से वादी का कथन सिद्व है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्व तय की गई है। तनकी संख्या 2 को सिद्व मानते हुए प्रतिवादी का कब्जा अवैध माना है फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व कोई आदेश न देकर अहम भूल की है। तनकी संख्या 3 को निर्णित करते समय अधिनस्थ न्यायालय ने ख0न0 5547 गैर मुमकिन बाडा सिवायचक पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा अवैध निर्माण होना माना है परन्तु प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा कोई कार्यवाही नही करने के संबंध मे कोई विवेचन नही किया है। अपीलार्थी का दावा प्रतिवादी न0 1 व 2 के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर सरकारी भूमि से बेदखल कराने का था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी को अधिकार नही होना अंकित कर दावा खारिज कर दिया। सरकारी भूमि पर अवैध अतिकमण कर सरकारी भूमि को हडपना है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। विवादित आराजीयात ख0न0 5547 वादीगण की खातेदारी भूमि से लगती हुई है प्रतिवादीगण उक्त अवैध अतिकमण कर वादी को खातेदारी की भूमि मे काश्त करने मे व्यवधान डालेगा। जिससे भविष्य मे विवाद उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है। अपीलांट को कोरोना काल मे अधिनस्थ न्यायालय मे सुनवाई का [illegible] इस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। इस प्रकार [illegible] अपील स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पो0 संख्या 3 को आदेश दिये जावे [illegible] अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:01:31 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

रेसपो0 के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील के मद संख्या 1 ता 8 को अस्वीकार करते हुए अपील के मद संख्या 8 से 11 का रेसपो0 का कोई संबंध नही होना तथा मद न0 12 अपील मे किये गये निवेदन को गलत होने से अस्वीकार करते हुए विशेष विवरण मे अंकित किया कि विवादित भूमि ख0न0 5547 रकबा 0.99 है0 गैर मुमकिन खरडा है जो पूर्णरूप से सिवायचक है। जिस पर रेसपो0 का पूर्वजो के समय से ही कब्जा चला आ रहा है। रेसपो0 ही हमेशा से पेनल्टी भरते चले आ रहे है। रेसपो0 ने अपीलांट को उनके हिस्से का आधा बाडा दे रखा है इसके अलावा 5 फीट जमीन ज्यादा दे रखी है रेसपो0 के अलावा 50 फीट से अधिक मकान लगभग आधा गांव सिवायचक भूमि मे बने व बसा हुआ है। प्रशासन पहले तो 50 मकानो को ध्वस्त करे । अपीलार्थी हमारे कब्जा शुदा बाडे के पीछे पडे हुए है वे प्रशासन से कब्जा ध्वस्त करवाकर कब्जा स्वयं करने पर आमादा है। उक्त भूमि सिवायचक है इस कारण अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात भूमि ख0न0 5547 रकबा 0.99 है0 मुताबिक राजस्व रिकार्ड गैर मुमकिन खरडा सिवायचक दर्ज है। वादी द्वारा गैर मुमकिन भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल करने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसका उसको कोई अधिकार प्राप्त नही होने एवं भूमि सिवायचक होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्व धारा 91 की कार्यवाही करने के आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार मलारना डूँगर को दिये गये है। इस प्रकार अपीलांट/वादी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार नही होने से प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराने का अधिकारी नही है। सिवायचक भूमि पर हो रहे अतिचार के विरूद्व धारा 91 के तहत कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार अधिकृत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा किये गये अतिचार के बाबत धारा 91 की कार्यवाही हेतु विधि अनुरूप ही निर्देशित किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधि अनुरूप होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपीलांट की अपील खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर के मु0नं0 61/19 निर्णय व डिक्री दिनांक 13.1.22 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:01:31 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner